न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 05 / 2023
GCMS No. 2023/5

दायरा दिनांक 02.08.2023

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. जरीना पत्नि जमील खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला–बारां।
2. जावेद पुत्र जमील खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला–बारां।

– अपीलाण्ट्स

बनाम

1. हमीद पुत्र मजीज खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला–बारां।
2. वहीद पुत्र मजीज खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला–बारां।
3. युसुफ पुत्र पुत्र मजीज खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला–बारां।
4. हसन पुत्र पुत्र मजीज खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला–बारां।
5. खातून बेवा मजीज खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला – बारां।
6. अजीज खां पुत्र मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला–बारां।
7. सलीम खां पुत्र मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला–बारां।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला–बारां राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–
श्री एम.आई खान – अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 27.09.2024

अपील विरूद्ध नामान्तकरण नम्बर 79 दिनांक 02.11.1977 ग्राम करवरीकलां

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी इंतकाल नम्बर 79 दिनांक 02.11.1977 ग्राम करवरीकलां को निरस्त करने बाबत इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, किशनगंज द्वारा प्रमाणित किया गया इंतकाल विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलान्टस् एवं रेस्पोडेण्ट के पिता एवं दादा के खाते की भूमि ग्राम करवरीकलां तहसील किशनगंज में खाता खतोनी नई 179 पुरानी 179 की खसरा संख्या 107 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 282 रकबा 02.06 बीघा, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 324 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नम्बर 325 रकबा 1.12 बीघा कुल किता 11 कुल रकबा

Scanned with OKEN Scanner

8.17 बीघा वांके माल करवरीकलां में पटवार हल्का करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां में स्थित है। जिसको अपील में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्ट के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न है :–

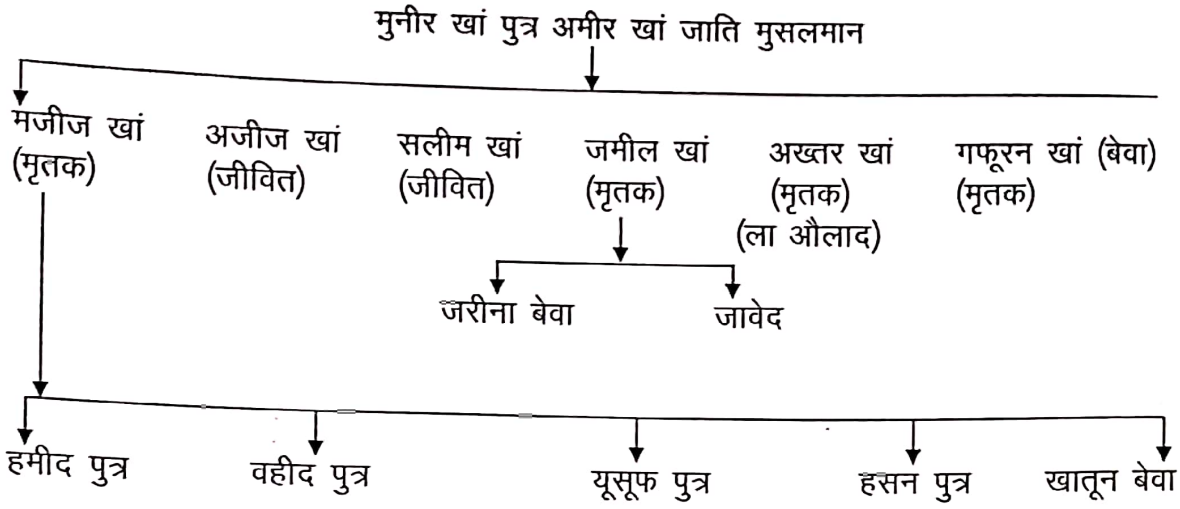

विवादित आराजी मूल खातेदार मुनीर खां पुत्र अमीर खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां के खाते की है। जिसमें मनीर खां की मृत्यु के पश्चात् इन्तकाल संख्या 79 दिनांक 02.11.1977 को खोला गया उसके पूर्व ही जमील खां फोत हो गया था। पटवारी हल्का करवरी कलां ने इन्तकाल में वारीसान के नाम की जगह जमील खां का नाम तो दिया लेकिन अमल बरामद करते समय जमील खां एवं उसके वारिसान का नाम रह गया इस कारण जमील खा के वारिसान का नाम खाते में नहीं आ सका।

मनीर खां के फोत होने के पश्चात् विवादित आराजी के नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 02.11.1977 खोला गया। उसमें जमील खां के वारिसान की जांच पड़ताल किये बिना ही जमील खां व उसके वारिसान का नाम खाते से हटा दिया गया। जो विधि विरूद्ध एवं न्याय संगत नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त इन्तकाल को तहसीलदार किशनगंज ने बिना जांच पड़ताल किये तस्दीक कर दिया जबकि उक्त इन्तकाल खोलते समय जमील खां वारिसान अपीलान्ट जीवित है। इस कारण बिना जांच पड़ताल किये खोला गया उक्त नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 02.11.1977 निरस्त होने योग्य है। उक्त इन्तकाल बाबत् हल्का पटवारी करवरीकलां ने जमील खा के वारिसान के बारे में कोई जांच पडताल नहीं की और झूठी रिपोर्ट पेश की कि जमील खा के कोई वारिसान नहीं है। जबकि जमील खा के वारिसान पुत्र एवं पत्नि जीवित मौजूद है तथा इन्तकाल का अमल बरामद करते समय हल्का पटवारी द्वारा जानबूझकर खाते से हटा दिया गया है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। विवादित आराज में अपीलान्ट का नाम नहीं होने की जानकारी अपीलान्ट को जब उनकी भूमि हथियादेह बांध में आवाप्ति की गई उसके नोटिस रेस्पोडेण्ट के तो आ गये लेकिन इनके नहीं आने पर हल्का पटवारी से दिनांक 17.07.2023 को जानकारी हुई। उसके पश्चात् दिनांक 25.07.2023 को तहसील किशनगंज से नकले निकलवाने से सारी जानकारी हुई। तब अन्दर मियाद श्रीमान की सेवामें अपील पेश की हैं।

रेस्पोडेण्टगण को सम्मन जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त हुये। बाबजूद सूचना रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित रहे हैं, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराया गया।

Scanned with OKEN Scanner

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मुनीर खां के फोत होने के पश्चात् विवादित आराजी के नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 02.11.1977 खोला गया। उसमें जमील खां के वारिसान की जांच पडताल किये बिना ही जमील खां व उसके वारिसान का नाम खाते से हटा दिया गया। जो विधि विरूद्ध एवं न्याय संगत नहीं है। तथा उक्त इन्तकाल तहसीलदार किशनगंज ने बिना जांच पडताल किये तस्दीक कर दिया जबकि उक्त इन्तकाल खोलते समय जमील खां के वारिसान अपीलान्ट्स पुत्र एवं पत्नि जीवित मौजूद है। इस कारण बिना जांच पडताल किये खोला गया उक्त नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 02.11.1977 निरस्त योग्य है। जो उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 79 ग्राम करवरीकलां निर्णय दिनांक 02.11.1977 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टस के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच कर पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज कराकर निर्णित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner